10 और भारतीय जलक्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिला है रामसर संधि के तहत। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी दी। अब भारत में मान्यताप्राप्त जलक्षेत्रों की संख्या 37 हो गई है। इनका कुल क्षेत्रफल 10.67 लाख हेक्टेयर है।

न्यूज गैलरी

आकांक्षी जिलों की सूची में उप्र का चंदौली शीर्ष पर

नई दिल्ली : आकांक्षी जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के चंदौली ने बाजी मारी है। ओडिशा का बलांगीर दूसरे और आंध्र प्रदेश का वाईएसआर तीसरे स्थान पर रहा है। सरकारी थिंकटैंक नीति आयोग ने मंगलवार को ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी। इस सूची में झारखंड का साहिबगंज चौथे व असम का हैलाकंदी पांचवें स्थान पर है। देशभर के चयनित कुल 112 आकांक्षी जिलों में दिसंबर 2019 के दौरान छह क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की प्रगति के आधार पर सूची तैयार की गई है। रैंकिंग के दौरान इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जलस्रोत, वित्तीय समावेश, कौशल विकास के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर गौर किया गया। आकांक्षी जिला योजना के तहत उन जिलों का चयन किया गया था जो सामाजिक विकास के क्षेत्रों में पीछे रह गए थे। (प्रेट्र)

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके

श्रीनगर : ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोटस ने बताया कि सुबह 11.40 बजे आए भूकंप का केंद्र अक्षांक्ष पर 33.5 डिग्री उत्तरी और देशांतर में पूर्व में 75.5 डिग्री पर जमीन की सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। (जासं)

24 हफ्ते तक के भ्रूण का भी हो सकेगा गर्भपात

कैबिनेट की मंजूरी ▸ सरकार का तर्क, महिला अधिकार होगा सशक्त

दुष्कर्म से गर्भ ठहरने के मामलों में पीड़िताओं और दिव्यांगों को मिलेगी राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला करते हुए 24 हफ्ते तक के भ्रूण का गर्भपात कराने को मंजूरी दे दी है। अभी तक देश में 20 हफ्ते तक के गर्भ का ही गर्भपात कराने की अनुमति है। लेकिन अब दुष्कर्म पीड़िता, पारिवारिक यौनाचार से पीड़ित या दिव्यांग पीड़िताओं को उनके हालात को देखते हुए छह महीने का गर्भ होने पर भी उसका गर्भपात कराने की इजाजत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 2020 आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि प्रजनन में महिलाओं के अधिकार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने गर्भपात के संबंध में गर्भ की अधिकतम अवधि को बढ़ाया है। इससे महिलाओं के प्रजनन अधिकारों में इजाफा होगा और सुरक्षित गर्भपात का रास्ता खुलेगा। इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन किया गया है। महिला संगठनों की यह पुरानी मांग थी। डॉक्टरों ने भी इसकी सिफारिश की थी और कोर्ट ने भी आग्रह किया था। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में एक मंत्रिसमूह भी गठित किया गया था। उसकी सिफारिश के आधार पर ही यह फैसला किया गया है।

दो डॉक्टरों की राय जरूरी होगी : मंत्रिसमूह की सिफारिशों में यह शर्त भी रखी गई है कि दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात के मामलों में दो डॉक्टरों की राय जरूरी होगी, जिसमें एक डॉक्टर सरकारी क्षेत्र का होना चाहिए। 20 हफ्ते के गर्भ का गर्भपात कराने के लिए एक ही डॉक्टर की राय जरूरी होगी। इससे उन महिलाओं या लड़कियों को खास तौर पर राहत मिलेगी जिनसे दुष्कर्म हुआ होता है लेकिन कई बार उन्हें गर्भ रहने का पता नहीं चल पाता या देर से पता चलता है। दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों या दिव्यांगों के मामले में यह बदलाव ज्यादा उपयोगी साबित होगा।

प्रकाश जावेडकर। फाइल

यह प्रगतिवादी फैसला : जावडेकर

जावडेकर ने कहा कि यह एक प्रगतिवादी फैसला है। दुनिया के कई विकसित देशों में भी इस तरह के नियम हैं। इससे बहुत सारी महिलाओं को राहत मिलेगी। देश में बच्चा जनने के समय जितनी मौतें होती हैं उनमें आठ फीसद असुरक्षित गर्भपात से होती हैं। यह गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ फैसला है। कानूनी तौर पर गर्भपात करने के अधिकार में विस्तार से महिलाओं का भी सशक्तिकरण होगा।

जरूरी नहीं एफआइआर के बाद ही दाखिल हो अग्रिम जमानत अर्जी

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि है कि यह जरूरी नहीं है अग्रिम जमानत की अर्जी सिर्फ एफआइआर दर्ज होने के बाद ही दाखिल की जाएगी, यह पहले भी दाखिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को सलाह देते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में अदालत गिरफ्तारी की आशंका और गंभीरता का आंकलन करते हुए सरकारी वकील (लोक अभियोजक) को नोटिस जारी कर तथ्य मंगा कर देख सकती हैं, यहां तक की सीमित अग्रिम जमानत देते वक्त भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 438 (अग्रिम जमानत (गिरफ्तारी से संरक्षण)) में कोर्ट पर यह शर्त नहीं है कि वह अग्रिम जमानत देते वक्त समयसीमा तय करे। या फिर उसमे एफआईआर दर्ज होने अथवा पुलिस की जांच में गवाहों के बयान दर्ज होने आदि की शर्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देते वक्त कोर्ट अपराधी की प्रकृति, अभियुक्त की भूमिका और उसके जांच प्रभावित करने अथवा उससे छेड़छाड़ करने की संभावनाओं या फिर अभियुक्त के देश छोड़ कर भागने की संभावना पर विचार करेगा। कोर्ट प्रत्येक मामले को देखते हुए और जांच एजेंसी द्वारा मुहैया समाग्री के आधार पर केस टु केस कोई भी शर्त लगा सकता है लेकिन हर मामले में हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता है।

कहा है कि अग्रिम जमानत देते समय अदालतों को अपराध की गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका और मामले के तथ्यों को देख कर तय करना चाहिए कि जमानत दी जाए या नहीं। यह अदालत का विवेकाधिकार भी है जो कि मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अभियुक्त मिली अग्रिम जमानत आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी ट्रायल खत्म होने तक जारी रहना अभियुक्त के आचरण पर निर्भर हो सकता है। अभियुक्त को मिली अग्रिम जमानत का आदेश ब्लैंकेट (सभी मामलों में समान) नहीं हो सकता, यानी कोई अभियुक्त अग्रिम जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में अग्रिम जमानत के आदेश का सहारा नहीं ले सकता। अग्रिम जमानत का आदेश एक निश्चित अपराध और घटना तक सीमित होता है जिसमें गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए संरक्षण लिया गया था। फैसले में कोर्ट ने साफ किया है कि अग्रिम जमानत किसी भी तरह से पुलिस के जांच करने के अधिकार को सीमित नहीं करती। कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त के जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने जांच प्रभावित करने या सहयोग न करने आदि की स्थिति में पुलिस को अदालत के पास जाकर अग्रिम जमानत या जमानत रद कर गिरफ्तारी की इजाजत मांगने का अधिकार है।

यलगार परिषद केस एनआइए को सौंपने के लिए शिवसेना ने की आलोचना

मुंबई, प्रेट्र: संवेदनशील यलगार परिषद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपने के लिए शिवसेना ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। देश में संघीय ढांचे का हवाला देते हुए शिवसेना ने मोदी सरकार पर गैरभाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

अपने मराठी मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में केंद्र सरकार की ओर से अचानक उठाए गए कदम पर सवाल उठाते हुए शिवसेना ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार चाहती है कि इस मामले की सच्चाई दबी रहे। शिवसेना ने कहा, 'भारत राज्यों का संघ है। हर राज्य के अपने अधिकार और गौरव है। केंद्र की ओर से अपना तरीका थोपना अस्थिरता को आमंत्रण देना है।' मालूम हो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एनआइए को यलगार परिषद मामला अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। पुणे पुलिस नक्सली लिंक होने के संदेह में इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही थी कि क्या 31 दिसंबर, 2017 को हुए इस कांक्लेव में उकसाऊ भाषण दिए गए थे जिसकी वजह से अगले दिन पुणे जिले के भीमा-कोरेगांव में कथित रूप से जातीय हिंसा हुई थी। संपादकीय में शिवसेना ने आगे कहा है, 'एनआइए ने महाराष्ट्र में हस्तक्षेप किया है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की कई घटनाएं हो रही है। केंद्र ने वहां हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? यह सही नहीं है।' पार्टी ने केंद्र के इस कदम को चौंकाने वाला और संदेहास्पद करार दिया है।

गीताप्रेस से प्रकाशित होगी गर्ग संहिता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जनमानस को परिचित कराने वाली 'गर्ग संहिता' अब गीता प्रेस से प्रकाशित होगी। 1120 पृष्ठों वाली ग्रंथाकार पुस्तक में श्लोकों के साथ उसका हिंदी अनुवाद भी होगा। श्रीकृष्ण के कुलगुरु महर्षि गर्ग द्वारा रचित इस संहिता की कथाएं समस्त वैष्णव परंपरा में सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जाती हैं।

गीता प्रेस गर्ग संहिता की कथाओं का प्रकाशन मासिक पत्रिका 'कल्याण' के 44वें तथा 45वें विशेषांक में कर चुका है। इसके बाद दोनों विशेषांकों की कथाओं को स्वतंत्र ग्रंथ 'गर्ग संहिता' के रूप में भी प्रकाशित किया गया। जनमानस में यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके 22 संस्करण प्रकाशित किए गए। गीता प्रेस ने पहली बार संहिता के हिंदी अनुवाद के साथ उसके मूल श्लोकों को भी प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। पहले संस्करण में तीन हजार प्रतियां प्रकाशित की जाएंगी, हालांकि उसका मूल्य अभी तय नहीं है। गीता प्रेस ने 75 तरह की पुस्तकों का प्रकाशन पिछले वर्ष किया था।

दस खंडों में मूल संहिता : गर्ग संहिता गोलोक, वृंदावन, गिरिराज, माधुर्य, मथुरा, द्वारका, बलभद्र, विज्ञान व अश्वमेध सहित दस खंडों में विभक्त है। महाराज पृथु व यदुवंशियों के गुरु महर्षि गर्ग द्वारा रचित गर्ग संहिता के श्लोकों को श्रीमद्भागवत के प्राचीन टीकाकारों ने प्रमाण रूप में उद्धृत किया है।

गर्ग संहिता के प्रकाशन की तैयारी लगभग पूरी है। आगामी मार्च तक पुस्तक का प्रकाशन होने की उम्मीद है।
-लालमणि तिवारी, उत्पाद प्रबंधक, गीताप्रेस

गत वर्ष की प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें

पुस्तक	संख्या
श्रीशिव महापुराण भाग एक	5,836
श्रीशिव महापुराण भाग दो	5,845
शिव पुराण कथा सागर	19,558
उपनयन संस्कार पद्धति	19,594
विवाह संस्कार पद्धति	24,001
देवी भागवत कथा सार	8,052
सुंदरकांड मूल रंगीन	27510

182 लड़कियों से संबंध बनाने के बाद किया ब्लैकमेल, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▸ **कोलकाता का मामला, एक आरोपित नामी कपड़ा कारोबारी का बेटा**

▸ **आरोपितों को छह फरवरी तक रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस**

सात वर्षों में 182 लड़कियों से संबंध बनाने और उनकी अश्लील तस्वीरें खींच कर और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम कैलाश यादव, अनिश लोहार और आदित्य अग्रवाल है। आदित्य एक नामी कपड़ा व्यापारी का बेटा है, जबकि कैलाश और अनिश उसके यहां काम करने वाले कर्मचारी हैं। तीनों आरोपितों को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें छह फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस के एक आलाधिकारी ने बताया कि 2019 के नवंबर माह में एक अज्ञात युवक ने एक युवती को फोन कर उससे 10 लाख रुपये मांगे थे। युवक ने बताया कि उसके पास युवती की नग्न तस्वीर है। अगर वह उसे पैसे नहीं देगी और फोन संबंधी जानकारी किसी को देगी, तो उसकी अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। फोन आने के बाद युवती डर गई और कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार पहुंच कर साइबर अपराध शाखा में घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फोन नंबर ट्रैक कर कैलाश यादव को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद ही कई चौंकाने वाले राज उजागर हुए, जिसे सुन कर पुलिस की हैरत में पड़ गई।

2013 से चल रहा था घिनौना खेल: कैलाश ने बताया कि 2013 से यह घिनौना खेल चल रहा था। अनिश और आदित्य के साथ मिल कर वे लोग नई-नई लड़कियों से दोस्ती करते। उनके साथ संबंध बनाते और उनकी नग्न तस्वीरें खींच लेते। अश्लील वीडियो भी बना लेते थे। शुरुआत में एक लड़की से संबंध बनाने के बाद उसकी अश्लील तस्वीर खींची और वीडियो बना कर उसे ब्लैकमेल किया। उससे पांच लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद उनका मनोबल बढ़ा और यह सिलसिला चल निकला।

स्पाइसजेट, गोएयर ने भी लगाई कामरा की यात्रा पर रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंडिगो और एयर इंडिया के बाद स्पाइसजेट और गोएयर ने भी बुधवार को स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा की विमान यात्रा पर रोक लगा दी। कामरा ने मंगलवार को इंडिगो की मुंबई-लखनऊ उड़ान में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित तौर पर परेशान किया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का कहना है कि एयरलाइनों द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह उसके नियमों के मुताबिक है।

स्पाइसजेट ने बुधवार सुबह ट्वीट किया कि एयरलाइन ने अगले आदेश तक अपने विमानों में कुणाल कामरा की यात्रा पर रोक लगाने का फैसला किया है। दोपहर में गोएयर ने कहा, 'वह अगले आदेश तक कुणाल कामरा पर अपनी एयरलाइन के जरिये यात्रा पर रोक लगा रही है।' जबकि इंडिगो ने कामरा पर छह माह और एयर इंडिया ने अगले नोटिस तक उनकी विमान यात्रा पर रोक लगाई है। इंडिगो द्वारा कामरा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद मंगलवार को उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घटना पर संज्ञान लेकर देश की अन्य एयरलाइनों को कामरा पर इसी तरह की पाबंदी लगाने की 'सलाह' दी थी। उनका कहना था कि उकसावे पूर्ण और विमान के अंदर परेशानी उत्पन्न करने वाला आपत्तिजनक व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हवाई यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है।

इस बीच, एयरएशिया इंडिया और विस्तारा भी कामरा पर इसी तरह की कार्रवाई पर विचार कर रही हैं। एयरएशिया इंडिया के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि एयरलाइन की आंतरिक समिति मामले की समीक्षा कर रही है और वह उचित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगी।

ऐसा ही बयान जारी करते हुए विस्तारा ने मंगलवार को कहा था, 'वह समीक्षा करेगी और ऐसे मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन करेगी।' मालूम हो कि कामरा ने मुंबई से लखनऊ जा रही इंडिगो की एक उड़ान में मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के संपादक गोस्वामी को कथित तौर पर परेशान किया था। कामरा द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप में वह गोस्वामी से कहते दिख रहे है कि क्या वह कायर हैं या पत्रकार हैं। गोस्वामी को विमान में बैठे हुए और ईयरफोन लगाकर अपने लैपटॉप पर कुछ देखते हुए देखा जा सकता है। कामरा उनसे कहते सुनाई दे रहे हैं, 'दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या आज अर्णब कायर हैं या राष्ट्रवादी हैं। अर्णब, यह राष्ट्र की भलाई के लिए है। मैं भी टुकड़े-टुकड़े विमर्श का हिस्सा हूं। आपको मुझे गलत साबित करना चाहिए। देश के दुश्मन को नीचा दिखाइए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश नरेंद्र मोदी के सुरक्षित हाथों में है।'

मैं सिर्फ वेमुला के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहता था : कामरा

मुंबई, प्रेट्र : अर्णब गोस्वामी के साथ प्रकरण के बाद कुणाल कामरा ने बुधवार को कहा कि वह सिर्फ पीएचडी के दिवंगत छात्र रोहित वेमुला के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहते थे और उनका व्यवहार कतई अनियंत्रित या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी हवाई यात्रा पर प्रतिबंध उनके लिए बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है। इसके साथ ही कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड 11 मिनट के एक वीडियो का लिंक ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर विमान में राजद नेता तेजस्वी यादव से सवाल करने की कोशिश कर रहा है और तेजस्वी व कैबिन क्रू लगातार उनसे अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध कर रहे हैं। इसी तरह एक अन्य क्लिप में रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर रेस्टोरेंट में उस वक्त कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी लेने का प्रयास कर रहा है जब वह लंच कर रहे हैं। वीडियो में एक पत्रकार को भी रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर पर परेशान करने के लिए चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में अर्णब गोस्वामी को कायर, पागल और पालतू कुत्ता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए और वेमुला की मौत को ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत त्रासदी कहते हुए सुना जा सकता है जिसका इस्तेमाल राजनीति हितों के लिए किया गया।

कुणाल कामरा। फाइल

ग्रिल्स ने लिखा- बहादुर हैं रजनीकांत, नहीं हुए थे चोटिल

दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत डिस्कवरी चैनल पर टीवी शो मैन वर्सेज वाइल्ड लेकर आने वाले बेयर ग्रिल्स के साथ कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व में अपने पहले टीवी शो की शूटिंग कर रहे हैं। नए शो का नाम इन टू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स है। मंगलवार को इंस्टाग्राम पर यह जानकारी शेयर करते हुए ग्रिल्स ने लिखा, पीएम मोदी के साथ एपिसोड के बाद सुपरस्टार रजनीकांत हमें जॉइन कर रहे हैं। रजनीकांत घायल या चोटिल नही हुए थे। वे बहुत बहादुर हैं। प्रेट्र

युवक पर एसिड फेंकने वाली युवती को जेल भेजा

जागरण संवाददाता, उन्नाव : प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर युवक पर तेजाब फेंकने की आरोपित युवती को बुधवार को जेल भेज दिया गया। इससे पहले युवती पक्ष से युवक पर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने आरोप नकार दिए।

मौरावां क्षेत्र के गांव भवानीगंज में सोमवार रात 20 वर्षीय युवती ने अपने घर के सामने दूध डेयरी संचालक 25 वर्षीय रोहित पर तेजाब फेंक दिया था। घटना के वक्त रोहित डेयरी में सफाई कर रहा था। एसिड अटैक से वह झुलस गया। युवक के घर वालों ने उसे लखनऊ के हास्पिटल में भर्ती कराया था। पुलिस ने आरोपित युवती को हिरासत में ले लिया। बाद में पीड़ित के पिता की तहरीर पर युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उधर युवती पक्ष के कुछ लोगों ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी जिसे पुलिस ने खारिज कर दिया। पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। डाक्टरों ने उसकी हालत में सुधार होने की बात कही है।

दया याचिका जल्द निपटाए जाने का अर्थ पूर्वाग्रह से ग्रसित होना नहीं

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

कोर्ट ने कहा कि दया याचिका के जल्दी निपटाए जाने का मतलब यह नहीं समझा जा सकता कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है या उसमें सोच विचार नहीं हुआ। कोर्ट ने मुकेश की जेल में उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि जेल में उत्पीड़न राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने मुकेश की एकांत कारावास में रखे जाने की दलील भी खारिज कर दी। मुकेश की पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।

मुकेश के अलावा दूसरे दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर कोर्ट से फांसी माफ करने की गुहार लगाई है। कोर्ट गुरुवार को क्यूरेटिव याचिका पर विचार करेगा। इस बीच तीसरा दोषी विनय रहम की गुहार लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा है और उसकी ओर से बुधवार को वकील एपी सिंह के जरिए राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की गई। चौथे दोषी पवन के वकील एपी सिंह का कहना है कि पवन की ओर से पहले उसके नाबालिग होने की याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। हो सकता है कि पवन की ओर से गुरुवार को यह याचिका दाखिल कर दी जाए।

दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात पैरामेडिकल छात्रा निर्भया से चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्रा से इस कदर दरिंदगी की गई थी कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से चारो अभियुक्तों मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय सिंह और विनय कुमार शर्मा को मृत्युदंड दिया जा चुका है।

फांसी पर पटियाला हाउस कोर्ट से निर्देश मांगेगा जेल प्रशासन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **दोषियों को एक फरवरी को फांसी पर लटकाने को लेकर संशय**

▸ **हालांकि, जेल प्रशासन अपनी तैयारियों में कोई ढील नहीं देना चाहता है**

डेथ वारंट में दी गई तिथि एक फरवरी को निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने को लेकर संशय खड़ा हो गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि विनय की ओर से राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने की सूचना पटियाला हाउस कोर्ट को दी जाएगी और कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा।

इस बीच जेल प्रशासन फांसी से जुड़ी अपनी तैयारियों में कोई ढील नहीं देना चाहता है। यदि पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट को कायम रखता है, तो पूरी संभावना है कि 30 जनवरी को जल्लाद के आते ही फांसी का ट्रायल शुरू हो जाएगा। दोषियों के स्वास्थ्य पर भी जेल प्रशासन की नजर है। रोजाना दो बार उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह तय करेंगे कि दोषियों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है और इन्हें फांसी पर लटकाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के आधार पर फांसी से एक दिन पहले 31 जनवरी को तय होगा कि दोषियों को फांसी के दौरान फांसी घर के प्लेटफार्म के नीचे कितना लटकाया जाएगा। अभी लोक निर्माण विभाग भी समय समय पर फांसी घर का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि फांसी घर पूरी तरह तैयार रहे। इस बीच फांसी के लिए बक्सर से मंगाई गई रस्सी को सीलबंद बक्से में रखा गया है। यह जेल संख्या दो के उप अधीक्षक के जिम्मे रखा गया है। इस रस्सी से ही फंदा जल्लाद द्वारा तैयार किया जाएगा।

जागरण विशेष

उज्जयिनी स्थित प्राचीन वाग्देवी मंदिर में आस्था और उत्साह संग मनेगी वसंत पंचमी

'नील सरस्वती' का आज स्याही से होगा अभिषेक

राजेश वर्मा, उज्जैन

धर्मधानी उज्जयिनी में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर है। वाग्देवी मंदिर में देवी नील सरस्वती के रूप में विराजमान हैं। वसंत पंचमी पर विद्यार्थी स्याही से उनका अभिषेक करेंगे और विशेष पूजन होगा।

यहां वसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनता है। विद्यार्थियों के अलावा देवी का दर्शन-पूजन करने बड़ी भीड़ जुटती है। सिंहपुरी के समीप बिजासन पीठ के सामने स्थित इस मंदिर में परीक्षा के दिनों में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी नील सरस्वती के दर्शन करने आते हैं। वसंत पंचमी पर भी भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि कुछ दिनों बाद ही परीक्षाएं भी शुरू होने वाली होती हैं। छात्र देवी का स्याही से अभिषेक कर परीक्षा में सफलता की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है नील सरस्वती का स्याही से अभिषेक पूजन करने से मन पढ़ाई में लगता है, ध्यान केंद्रित करने का संकल्प बलवती हो जाता है और सफलता मिलती है। छात्र उच्च अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। इसी मान्यता के चलते स्थानीय के साथ दूरदारज से भी स्वजन बच्चों को लेकर माता के दरबार में आते हैं।

ज्ञानदायिनी वर दे...

▸ **नील सरस्वती के रूप में विराजमान हैं विद्यादायिनी, स्याही से अभिषेक करेंगे विद्यार्थी, होगा विशेष पूजन**

परमार कालीन है मूर्ति

नील सरस्वती की यह मूर्ति अत्यंत दर्शनीय है। विक्रम विश्वविद्यालय की पुरातत्व अध्ययन शाला के अधीक्षक डॉ. आरके अहिरवार के अनुसार परमार कालीन मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्राचीन वाग्देवी मंदिर में स्थापित मां नील सरस्वती की प्रतिमा। नईदुनिया

सनातन धर्म के 16 आधारभूत संस्कारों में से एक विद्यारंभ संस्कार को विशेष रूप से वसंत पंचमी तिथि पर किए जाने की मान्यता है। संगीत की गुरु-शिष्य परंपरा में भी वसंत पंचमी का विशेष महत्व है।

उज्जैन के इस प्राचीन मंदिर में वसंत पंचमी पर वाग्देवी को वासंती फूलों के साथ नील कमल व अष्टर के फूल अर्पित करने का विधान है। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि फूलों के अर्क का स्थान अब नीली स्याही ने ले लिया है। ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला के अनुसार शास्त्रों में कहीं-कहीं माता सरस्वती को नीलवर्णी कहा गया है। भगवान विष्णु से आदेशित होकर नील सरस्वती भगवान ब्रह्मा के साथ सृष्टि के ज्ञान कल्प को बढ़ाने का दायित्व संभाले हुए हैं। इसका उल्लेक श्रीमद् देवी भागवत में मिलता है। नील सरस्वती के पूजन में नील कमल व अष्टर के नीले फूलों का उपयोग इसी कारण होता है। इन फूलों के अर्क से देवी का अभिषेक किया जाता है। समय के साथ इसमें परिवर्तन आया और फूलों के अर्क का स्थान नीली स्याही ने ले लिया।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special